



2026:AHC:54062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1428/2025

जवाहिर लाल जायसवाल

... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

... विपक्षीगण

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: गरिमा कुमार जायसवाल, प्रतिभा जायसवाल

विपक्ष(गण) के अधिवक्ता

: सौरभ पांडे, जी. ए.

ए एफ आर

न्यायालय संख्या :- 85

(माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह द्वारा प्रदत्त)

1. पुनरीक्षणकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा जायसवाल, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पांडे और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान अपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सोनभद्र द्वारा अपराधिक विविध वाद संख्या 575/2019 (खुशबू बनाम जवाहर लाल जायसवाल), थाना पन्नूगंज, जिला-सोनभद्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 1 मार्च, 2025 के विरुद्ध दायर किया गया है। इसके द्वारा विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत विपक्षी संख्या 2 के आवेदन को स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता को यह निर्देश दिया है कि वह विपक्षी संख्या 2 को मासिक भरण-पोषण भत्ते के रूप में, सीआर.पी.सी. की धारा 125 के तहत उक्त आवेदन के दायर करने की तिथि से आक्षेपित निर्णय पारित होने की तिथि तक 3,000/- रुपये

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रति माह और आक्षेपित निर्णय पारित होने की तिथि से उसके विवाह की तिथि तक 6,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करे।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह विपक्षी संख्या 2 की माता, अर्थात् हिरमानी/हिमानी के साथ 23 जून, 1994 को हिंदू रीति-रिवाजों और रस्मों के अनुसार संपन्न हुआ था। चूंकि विपक्षी संख्या 2 की माता यानी हिमानी/हिरमानी अत्यधिक सुंदर थीं और पुनरीक्षणकर्ता आकर्षक नहीं था, इसलिए वह विवाह के समय से ही उसे पसंद नहीं करती थीं और हर छोटी-छोटी बात पर उसे प्रताड़ित और अपमानित किया करती थीं। हिमानी/हिरमानी पुनरीक्षणकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना चाहती थीं, इसी वजह से वह हर छोटी बात पर पुनरीक्षणकर्ता से झगड़ा करती थीं। इसी के सिलसिले में, फरवरी 2000 में, विपक्षी संख्या 2 की माता यानी हिमानी/हिरमानी बिना किसी कारण के पुनरीक्षणकर्ता का घर छोड़कर चली गईं और देवानंद उर्फ पचदेव नामक दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगीं। पुनरीक्षणकर्ता ने हिमानी/हिरमानी को अपने घर वापस लाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हिमानी/हिरमानी के देवानंद उर्फ पचदेव के साथ अवैध संबंधों से, **1 जनवरी 2011** को विपक्षी संख्या 2, अर्थात् खुशबू का जन्म हुआ था। 18 नवंबर 2019 को, विपक्षी संख्या 2 ने अपनी माता हिमानी/हिरमानी के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण भत्ते का दावा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया, क्योंकि वह उसका असली पिता है, जिसे वाद संख्या 575/2019 के रूप में पंजीकृत किया गया। 1 सितंबर 2021 को पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई और हिमानी/हिरमानी ने भी अपना शपथ-पत्र बयान दाखिल किया। चूंकि विपक्षी संख्या 2 की माता यानी हिमानी/हिरमानी फरवरी 2000 के बाद कभी भी पुनरीक्षणकर्ता के साथ संबंध में नहीं रहीं, तो पुनरीक्षणकर्ता विपक्षी संख्या 2 जैसी उसकी संतान का पिता कैसे हो सकता था। इस कारण, पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के सही पितृत्व का पता लगाने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षी संख्या 2 और स्वयं का डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतु एक आवेदन दिया था। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 1 फरवरी 2025 द्वारा खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने भारतीय

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 28087/2025 (जवाहर लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) दायर किया, जो अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि जब विपक्षी संख्या 2 की माता ने फरवरी 2000 के बाद पुनरीक्षणकर्ता के साथ कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे और वह एक व्यक्ति देवानंद उर्फ पचदेव के साथ व्यभिचार (अवैध संबंध) में रह रही थीं तथा उनके इसी अवैध संबंध से विपक्षी संख्या 2 का जन्म हुआ था, तो ऐसी परिस्थितियों में, विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता से कोई भी भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है, क्योंकि वह उसका जैविक पिता नहीं है।

5. अंत में, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि इस वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा शामिल है कि विपक्षी संख्या 2 का जैविक पिता कौन है, जिसके लिए विपक्षी संख्या 2 और पुनरीक्षणकर्ता का डी.एन.ए. परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने केवल अस्पष्ट एवं सामान्य कथनों और अटकलों व अनुमानों के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया है। इसके तहत विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत इस वर्तमान आवेदन को दायर करने की तिथि से आक्षेपित निर्णय पारित होने की तिथि तक 3,000/- रुपये प्रति माह और आक्षेपित निर्णय पारित होने की तिथि से उसके विवाह की तिथि तक 6,000/- रुपये प्रति माह मासिक भरण-पोषण भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया गया है, जो कि स्वतः ही अवैध है।

6. उपरोक्त आधार पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि विचारण न्यायालय ने बिना सोचे-समझे और अभिलेख पर किसी ठोस साक्ष्य के बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया है, इसलिए यह कानूनी रूप से कायम रहने योग्य नहीं है और इसे रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

7. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का विरोध करते हुए यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है, जिसके कारण इस

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

8. उपरोक्त आधार पर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि चूंकि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है और साथ ही यह निर्णय ठोस साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

9. मैंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. अभिलेख से कुछ परेशान करने वाले तथ्य सामने आते हैं, जो इस प्रकार हैं:

11. विपक्षी संख्या-2 की ओर से हिमानी/हिरमानी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर वर्तमान आवेदन में यह कहा गया है कि 20 फरवरी 2000 को, जब उनके पति यानी पुनरीक्षणकर्ता और उनके ससुराल वालों ने उनके साथ मारपीट की थी और उन्हें उनके ससुराल से बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद 22 जनवरी 2001 को उन्होंने भरण-पोषण के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिस पर 27 मई 2005 को विपक्षी संख्या-2 की माँ यानी हिमानी/हिरमानी के पक्ष में 600/- रुपये प्रति माह देने का आदेश पारित किया गया था। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि जब पुनरीक्षणकर्ता ने 27 मई 2005 के आदेश का पालन नहीं किया, तो उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त कार्यवाही में पारित मौखिक आदेश पर, हिमानी/हिरमानी 25 जुलाई 2009 को पुनरीक्षणकर्ता के साथ अपने ससुराल चली गईं। अपने ससुराल में केवल एक महीना रहने के बाद, वह अपने मायके चली गईं और उन्हें 12 जनवरी 2010 को पता चला कि पुनरीक्षणकर्ता ने विचारण अदालत के समक्ष उनकी गर्भावस्था के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया था।

12. विपक्षी संख्या-2 की ओर से हिमानी/हिरमानी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर आवेदन में पुनः यह कहा गया है कि 15 जनवरी 2010 को वह अपने ससुराल गई थीं, जहाँ वह केवल चार महीने रहीं और उन्होंने गर्भधारण किया। पैराग्राफ संख्या-9 में, हिमानी/हिरमानी ने कथन

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया है कि **1 जनवरी 2011** को उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तियरा रामगढ़, सोनभद्र में एक बच्ची को जन्म दिया और उक्त बच्ची का नाम खुशबू (यहाँ विपक्षी संख्या-2) रखा गया।

13. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से 25 फरवरी 2026 को दायर पूरक हलफनामे के पृष्ठ संख्या 23 और 24 के अवलोकन से, जो कि 19 मार्च 2014 का आदेश है, यह संकेत मिलता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सोनभद्र के समक्ष एक आवेदन संख्या 25B प्रस्तुत किया गया था, जिसे वाद संख्या 202/2013 के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत कार्यवाही में अदालत के 21 जुलाई 2009 के मौखिक निर्देश पर, हिमानी/हिरमानी 25 जुलाई 2009 को पुनरीक्षणकर्ता के घर आई थीं और कुछ दिन रहने के बाद उसने उसे बताया कि वह गर्भवती थीं, जिसे सुनकर पुनरीक्षणकर्ता हैरान रह गया और उसने उससे अपनी चिकित्सीय जाँच कराने के लिए कहा क्योंकि यदि वह उसके साथ संबंध में नहीं थीं तो वह गर्भवती कैसे हो सकती थीं; इसलिए, उसने हिमानी/हिरमानी की चिकित्सीय जाँच कराने की प्रार्थना की थी। उक्त आवेदन को विचारण अदालत द्वारा 19 मार्च 2014 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसकी एक प्रति पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दायर पूरक हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न की गई है। उक्त मामले में, हिमानी/हिरमानी ने दावा किया कि अदालत के 21 जुलाई 2009 के मौखिक निर्देश पर, वह **अप्रैल 2008** में पुनरीक्षणकर्ता के घर गई थीं और जब वह गर्भवती हो गईं, तो उन पर झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वह अपने मायके वापस आ गईं और **दिसंबर 2009** में एक बेटी को जन्म दिया।

14. उक्त पूरक हलफनामे के पृष्ठ संख्या 19 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चतरा, सोनभद्र द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि जवाहर की पत्नी हिमानी/हिरमानी ने **20 नवंबर 2009** को चतरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा जनवाने वाली ए.एन.एम. का नाम कृष्णा कनौजिया है, जिसकी प्रविष्टि वर्ष 2009-2010 के जे.एस.वाई.(जननी सुरक्षा योजना) रजिस्टर के क्रम संख्या 231 पर दर्ज है। इसी प्रकार, पूरक हलफनामे का पृष्ठ संख्या 21 एक जन्म प्रमाण पत्र है, जो 1 फरवरी 2010 का है,

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें जवाहर और हिमानी/हिरमानी देवी की पुत्री खुशबू (यहाँ विपक्षी संख्या-2) की जन्म तिथि 20 नवंबर 2009 उल्लिखित की गई है।

15. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण के हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 9 में, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता का घर छोड़ने के बाद, स्पष्ट रूप से कहें तो फरवरी 2000 में, हिमानी/हिरमानी यानी विपक्षी संख्या-2 की माँ, देवानंद उर्फ पंचदेव के साथ व्यभिचार में रह रही थीं और उनके इस नाजायज संबंध से 1 जनवरी 2011 को विपक्षी संख्या-2 का जन्म हुआ था। इसी तरह, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दायर बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 28087/2025 (जवाहर लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) के शपथ-पत्र में - जो अभी भी विचाराधीन है - विपक्षी संख्या 2 की जन्म तिथि "1 जनवरी, 2011" उल्लिखित की गई है।

16. उपरोक्त तथ्यों की गहन संवीक्षा से, यह न्यायालय पूरी तरह से यह पता लगाने में असमर्थ है कि साल 2000 के बाद विपक्षी संख्या-2 की माँ यानी हिमानी/हिरमानी कब और कितनी बार अपने पति यानी पुनरीक्षणकर्ता के घर गईं, वह कितने दिनों तक उसके साथ रहीं, वह कब गर्भवती हुईं और उन्होंने कब बच्चे को जन्म दिया और वास्तव में उसका जैविक पिता कौन है।

17. पूरक शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 28 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चिकित्सा अधिकारी, प्रसव केंद्र, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि देवानंद उर्फ पंचदेव की पत्नी हिरमानी ने 12 जुलाई, 2017 को सुबह 09:15 बजे अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है और इसकी प्रविष्टि वार्षिक रजिस्टर की क्रम संख्या 186/584 पर दर्ज है।

18. जब इस न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता से तीखा/स्पष्ट सवाल किया कि क्या यह सच है कि हिमानी/हिरमानी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है जिसके पिता देवानंद उर्फ पंचदेव हैं, और यह भी पूछा कि हिमानी/हिरमानी वर्तमान में किसके साथ रह रही हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब पुनरीक्षणकर्ता ने हिमानी/हिरमानी पर किसी और के साथ रहने का आरोप लगाया था, जिसके कारण विपक्षी संख्या 2 का जन्म हुआ, तब से यानी 2011 के बाद से, हिमानी/हिरमानी ने

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनरीक्षणकर्ता को छोड़ दिया और वह देवानंद के साथ रह रही थीं और यह दूसरा बच्चा उन्हीं का है, लेकिन हिमानी/हिरमानी के पहले बच्चे के पिता पुनरीक्षणकर्ता ही हैं।

19. उपरोक्त तथ्यों से, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई इस दलील में दम/सत्यता है कि पुनरीक्षणकर्ता जैविक पिता नहीं है। हालांकि, इस सही तथ्य का पता लगाने के लिए कि विपक्षी संख्या 2 का जैविक पिता कौन है, पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी संख्या 2 का डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

20. इस न्यायालय ने **आर. राजेंद्रन बनाम कमर निशा एवं अन्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 1304** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कोई विवाद नहीं किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि पितृत्व एक प्रासंगिक/संबद्ध मुद्दा है और प्राथमिक आरोपों को साबित करने के लिए सीधे तौर पर आवश्यक नहीं है, तो डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी आवश्यकता के बिना डीएनए परीक्षण के लिए बाध्य करना निजता और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाला एक अनुचित हस्तक्षेप है। उक्त मामले के पैराग्राफ संख्या 29 में सर्वोच्च न्यायालय ने डी.एन.ए. परीक्षण के निर्देश के संबंध में कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

21. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **सचिन अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में, जो सीआर.पी.सी. की धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 28298/2021 में 30 मई, 2024 को पारित किया गया था, के पैराग्राफ संख्या 15 से 22 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है:**

"15. न्याय की प्राप्ति के लिए, न्यायालय को सत्य को उजागर करने और सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए। न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके न्याय की जीत हो, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए निष्पक्षता और समता के सिद्धांतों को कायम रखा जा सके। नंदलाल वासुदेव बडवाइक बनाम लता नंदलाल बडवाइक एवं अन्य (2014) 2 एससीसी 576 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 17 में, डी.एन.ए. परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक सटीकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 कुछ शर्तों के तहत अकाट्य प्रमाण की उपधारणा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाती है, फिर भी यह उपधारणा खंडन योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्याय के हित में, सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान का उपयोग करके सत्य का पता लगाया जाना चाहिए, और कहा कि :- "हमारी राय में, जब कानून के तहत परिकल्पित एक अकाट्य प्रमाण और वैश्विक समुदाय द्वारा सही स्वीकार की गई वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित प्रमाण के बीच कोई टकराव हो, तो बाद वाले को पहले वाले पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।"

16. जमशेद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1976 क्रि एल जे 1680 (ऑल)] के मामले में, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सी.आर.पी.सी. की धारा 53 के तहत किए जाने वाले "चिकित्सीय परीक्षण" के दौरान अनिवार्य रूप से रक्त का नमूना लिया जा सकता है। उस समय, उक्त प्रावधान में रक्त के नमूने एकत्र करने की बात स्पष्ट रूप से परिकल्पित नहीं थी। इसके बावजूद, न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि "किसी व्यक्ति के परीक्षण" वाक्यांश को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसमें शरीर पर बाहरी रूप से दिखाई देने वाली चीजों के परीक्षण के साथ-साथ शरीर के भीतर के किसी अंग का परीक्षण भी शामिल हो।

17. अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया 2023 लाइव लॉ (एससी) 122 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह न्यायालय डी.एन.ए. परीक्षण के आदेश से जुड़ी अहमियत और संवेदनशीलता को समझता है। यह मानना अत्यंत आवश्यक है कि यद्यपि जैविक संबंधों का पता लगाने में डी.एन.ए. परीक्षण एक शक्तिशाली साधन है, फिर भी इसके प्रयोग को इसके संभावित दुरुपयोग, इसके परिणामस्वरूप लगने वाले सामाजिक कलंक और बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव के विरुद्ध सावधानीपूर्वक तौला जाना चाहिए। न्यायालय को ऐसे परीक्षणों का निर्देश नियमित या आकस्मिक तरीके से देने से बचना चाहिए, और इसके बजाय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 (7) एससीसी 263 के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना है कि दीवानी न्यायालय तलाक की कार्यवाही के किसी पक्षकार की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए चिकित्सीय परीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है।

19. इसके अलावा, आवेदक द्वारा डी.एन.ए. परीक्षण कराने से इनकार करना, जो कि पितृत्व के निर्धारण और बच्चे के कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक माना गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टांत (एच) के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष का आधार बन सकता है। यह प्रावधान न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता था और नहीं किया गया, यदि वह प्रस्तुत किया

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाता, तो उसे छिपाने वाले व्यक्ति के प्रतिकूल होता। रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी 2011 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4076 के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा था कि पितृत्व विवाद में डीएनए परीक्षण कराने से इनकार करने पर इनकार करने वाले पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसा निष्कर्ष, यद्यपि निर्णायक नहीं होता, फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों और बच्चों के सर्वोत्तम हितों के आधार पर एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुँचने की न्यायालय की क्षमता को सुदृढ़ करता है।

20. अनसुलझे पितृत्व विवादों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती। डीएनए परीक्षण के माध्यम से पिता होने की पक्की जानकारी मिलने से इसमें शामिल सभी पक्षों, विशेष रूप से बच्चों को मानसिक संतुष्टि और स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को न्यायसंगत भरण-पोषण मिले, जो न केवल उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि उनकी सामाजिक और कानूनी स्थिति की भी पुष्टि करता है।

21. वर्तमान मामले में, डीएनए परीक्षण का निर्देश देने के व्यापक निहितार्थों पर विचार करना आवश्यक है। न्यायालय बच्चों पर पड़ने वाले उस संभावित मानसिक आघात और कलंक के प्रति सचेत है, जो पितृत्व विवाद को सार्वजनिक जांच के अधीन करने की स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (अभिसमय) के अनुच्छेद 3 में यह सिद्धांत निहित है कि बच्चों से संबंधित सभी मामलों में उनके सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। भरण-पोषण का अधिकार मात्र एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह मौलिक मानवाधिकारों में गहराई से निहित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को मान्यता देती है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल शामिल हैं। बच्चों के संदर्भ में, भरण-पोषण उनके अस्तित्व, वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। अनसुलझे पितृत्व मामलों के कारण भरण-पोषण से इनकार करना उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।

22. वर्तमान मामले में यद्यपि आवेदक बच्चों के भरण-पोषण और उनके पिता होने से इनकार कर रहा है, तथापि, जब न्यायालय ने डीएनए परीक्षण का आदेश दिया, तो आवेदक ने इस आवेदन में उस आदेश को चुनौती दी है। आवेदक को एक ही समय में हाँ और ना करने (विरोधाभासी रुख अपनाने) की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह एक तरफ बच्चों के पितृत्व से इनकार नहीं कर सकता और दूसरी तरफ डीएनए परीक्षण कराने से मना भी नहीं कर सकता। यदि वह पितृत्व पर संदेह कर रहा है, तो अपने मामले को साबित करने का एकमात्र तरीका डीएनए परीक्षण ही है। इसके अलावा, आवेदक डीएनए परीक्षण की तुलना नार्को टेस्ट जैसे अन्य परीक्षणों से नहीं

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर सकता, जिनमें पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 का स्पष्टीकरण अब यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि "परीक्षण" के अंतर्गत डीएनए पितृत्व परीक्षण शामिल होगा।"

22. न्यायालय की दृष्टि में, वर्तमान मामले में विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ शामिल हैं, जिसमें एक पिता अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह विपक्षी संख्या-2 का जैविक पिता है या नहीं। इसी प्रकार, एक पुत्री अर्थात् विपक्षी संख्या-2 को भी यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका जैविक पिता कौन है, क्योंकि यदि यह ज्ञात नहीं होता है, तो यह बात जीवन भर उन दोनों को परेशान करती रहेगी और वे समाज में भी अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाएंगे।

23. परिणामस्वरूप, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सोनभद्र द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 575/2019 (खुशबू बनाम जवाहर लाल जायसवाल) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 1 मार्च 2025 को निरस्त किया जाता है।

24. पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी संख्या-2 का डीएनए परीक्षण कराए जाने के पश्चात, विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने के भीतर, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध वाद संख्या 575/2019 (खुशबू बनाम जवाहर लाल जायसवाल) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र के अंतर्गत गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करे और उसका निस्तारण करे।

25. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

26. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

आदेश दिनांक :- 17.03.2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।